रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT OF INDIA

सं॰ 211] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 1996/अग्रहायण 20, 1918
No. 211] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 1996/AGRAHAYANA 20, 1918

उद्योग मंत्रालय

(सरकारी उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1996

सं. 2(15)/95-मजूरी कक्ष :—भारत सरकार विगत कुछ समय से सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों की वेतन संरचना में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों पर विचार करती रही है। 1-1-1992 से किए गए पिछले वेतन पुनरीक्षण के बाद से स्थितियां कई मामलों में बदल गई हैं। तद्नुसार, वेतन पुनरीक्षण समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

अध्यक्ष	न्यायमूर्ति श्री एस. मोहन (सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय)
सदस्य	श्री एस. वेंकिटारमणन, भूतपूर्व गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
	डॉ. दीपक नायर, भूतपूर्व आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार
	श्री दीपक पारीख, अध्यक्ष, आवास विकास एवं वित्त पोषण
सदस्य सचिव	श्री पी. जी. मांकड, सचिव, सरकारी उद्यम विभाग

समिति केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निम्नलिखित श्रेणी के कार्यपालकों को दिए जाने वाले सम्पूर्ण पैकेज, जिसमें गैर-मौद्रिक प्रकृति वाले भी शामिल होंगे, को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन, भत्ते, अनुलाभों तथा अन्य लाभों की संरचना पर विचार करेगी तथा उन परिवर्तनों के सम्बंध में सुझाव देगी, जो वांछनीय एवं व्यवहार्य हो :

(i) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल स्तर के कार्यपालक

(ii) निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के कार्यपालक, तथा

(iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ

अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय समिति पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखेगी।

सरकार अपने विचारानुसार आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण करेगी। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय तथा विभाग तथा वे सभी जो आवश्यक सहयोग दे पाने की स्थिति में हों और वैसा कर सकने को स्वतंत्र हों, ऐसी संबद्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो समिति के लिए अपेक्षित हों।

समिति छः माह की अवधि के भीतर अपनी अनुशंसाएं कर देगी।

समिति की अनुशंसाओं के बारे में सरकार के निर्णय 1-1-1997 से लागू होंगे।

एस. तलवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 10th December, 1996

No. 2(15)/95-WC.—The Government of India have been considering for some time past the changes that have taken place in the structure of emoluments of Public Sector executives over the years. Conditions have also changed in several respects since the last pay revision made with effect from 1-1-1992. Accordingly, it has been decided to appoint the Pay Revision Committee comprising the following :

Chairman	Shri Justice S. Mohan (Retd. Judge, Supreme Court)
Members	Shri S Venkitaramanan, ex-Governor, RBI
	Dr. Deepak Nayyar, ex-Chief Economic Adviser, Government of India
	Shri Deepak Parekh, Chairman, Housing Development & Finance Corporation
Member Secretary	Shri P. G. Mankad, Secretary, Department of Public Enterprises

The Committee will examine the present structure of pay, allowances, perquisites and benefits for the following categories of Central Government Public Sector executives, taking into account the total pakage of benefits available to them including non-monetary ones, and suggest changes therein which may be desirable and feasible :

(i) Central Government PSUs Board level functionaries

(ii) Below Board level executives

(iii) Non-unionised supervisory staff

While finalising its report, the Committee will take into account the report of the Fifth Pay Commission.

The Committee will devise its own procedures as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India and State Governments will furnish such relevant information and documents as may be required by the Committee and which they are in a position and at liberty to give, and extend the necessary cooperation and assistance to it. The Committee will make its recommendations to the Government within a period of 6 months.

The decision of the Government on the recommendations of the Committee will take effect from 1-1-1997.

S. TALWAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1996